न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नागौर

बइजलास–सुनील कुमार (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं. 47/2018

प्रार्थीया	अप्रार्थीगण
सुमित्रा पुत्री स्व. मुन्नालाल उर्फ मुन्नाराम पत्नि श्री मन्छाराम जाति माली निवासी ताउसर बास बाईसर हाल मुकाम नया दरवाजा नागौर	1. शान्तुलाल पुत्र श्री स्व0 स्व. मुन्नालाल 2. महावीर पुत्र स्व श्री स्व. मुन्नालाल 3. पापालाल पुत्र स्व. मुन्नालाल 4. गणपतलाल पुत्र स्व. मुन्नालाल जाति माली निवासी ताउसर

वकुलाय :–
श्री पवन श्रीमाली,रामेश्वरलाल (वकील प्रार्थी)
श्री भंवरलाल सारस्वत (वकील अप्रार्थी सं0 1)

आवेदन अन्तर्गत धारा 212 रा.टी.एक्ट व आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी

::आदेश::

दिनांक :– .....

प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.टी.एक्ट व आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी का पेश किया कि :–

1. यह है कि, यह है कि उक्त अनवान का एक वाद प्रार्थी ने हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है जो बहुत ही मजबुत बिनाय पर आधारित होने के कारण प्रार्थी को उक्त वाद में सफलता मिलने की पुरी पुरी उम्मीद है।
2. वादी तथा प्रतिवादीगण आपस में सगे भाई बहन है तथा स्व0 मुन्नालाल जी पुत्र श्री उरजाराम जी जाति माली निवासी ताउसर बास बाईसर तह0 व जिला नागौर के जायन्दा पुत्र पुत्री है। तथा पक्षकारान के जायन्दा पिता श्री मुन्नालाल पुत्र रजाराम का देहान्त दिनांक 21.7.2015 को हो चुका है एवं स्व0 मुन्नालाल की विवाहिता पत्नि श्रीमती पतासी देवी रही है जिन का देहान्त भी हो चुका है। स्व0 मुन्नालाल माली की वंशावली पैरा संख्या 2 अनुसार हैं।
3. पक्षकारान सयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य रहे है. इस कारण हिन्दु मिताक्षरा विधि से शासित होते है साथ ही बढेर के खेताय के सयुक्त एवं सह कच्छा–काश्तकार उपरोकत पक्षकारान रहे है। पक्षकारान के दादा स्व.उरजाराम पुत्र श्री सवाई जी जाति माली के कब्जे काश्त व खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 754 रकबा 16 बिगा 3 बिस्वा ग्राम ताउसर की कांकड में स्थित रहा है। उपरोक्त पक्षकारान के दादा की उक्त खसरा नम्बर की भूनि के अलावा बढेर की पैत्रिक खातेदारी की भूमियां व आवासीय मकान ग्राम ताउसर में स्थित रहे है। साथ ही स्व उरजाराम का देहान्त निर्विसयीत हुआ था जिस कारण उपरोक्त खेत पक्षकारान के पिता मुन्नालाल व उरजाराम के अन्य पुत्र घीसाराम की खातेदारी में दर्ज हुआ। घीसाराम द्वारा उपरोक्त खेत में से अपने हक अधिकारों का वैधानिक रूप से हक त्याग करने पर उक्त खेत का एक मात्र खातेदार पक्षकारान के पिता श्री मुन्नालाल हुऐ। चूंकि उपरोक्त खेत बढेर की

पुश्तैनी भूमि का भू भाग रहा, जो स्व.मुन्नालाल के जीवन काल तक अविभाजित सम्पति के रूप में रहा। जिस का उन के जीवन काल में पक्षकारान के बीच आपसी भौतिक विभाजन नहीं हुआ। जिस प्रकार का भौतिक विभाजन उपरोक्त खेत का ब । इसी अनुसार वादी का माफिक मौखिक बन्ट के उक्त खेत के आधा भाग पर पूर्व में सयुंक्त परिवार के साथ व पिता के देहान्त के बाद उक्त खेत के 1/2 हिस्सा पर कब्जा काश्त मौका पर रहता चला आया है जो वर्तमान में भी है। जिस कारण नादी उक्त खेत के अपने 1/2 हिस्सा के भू भाग पर अपना बन्ट होना मान कर आश्वस्त रही है।

4. पक्षकारान के पिता के देहान्त दिनांक 21.7.2015 के पूर्व ही पक्षकारान के बडेर की अन्य खातेदारी की भूमिया जो ग्राम ताउसर व रामसिया में स्थित रही है, में से खेत खसरा नम्बर 173 रकबा 19 बिगा 2 बिस्वा मीजा रामसिया स्थित को जरिए बक्सीसनामा वादी के भाई श्री महावीर व गणपत के नाम से करवा दी गई। परन्तु वादी के भाई प्रतिवादी महावीर द्वारा उक्त खेत खसरा नम्बर 173 में से अपने बक्सीससुदा 9 बिगा 11 बिस्वा को भाई पापालाल को बक्सीस कर दिया। परन्तु उपरोक्त समय प्रतिवादी पापालाल द्वारा महावीर द्वारा। किए गए उक्त बक्सीस के भाग को अपनी पत्नि बसन्ती देवी के नाम से रजिस्टरी करवाई। इसी प्रकार ग्राम ताउसर के बास बाईसर स्थित आबादी के मकान को प्रतिवादी महावीर य गणपत के बन्ट में रखा एवं प्रतिवादी संख्या। शान्तुलाल के बन्ट में ताउसर बाईसर बास स्थित मकान को रखा। प्रतिवादी पापालाल के ग्राम ताउसर बास बाईसर स्थित माडा को भी बन्ट में रखा गया। उपरोक्त प्रकार से तथा पक्षकारान के पिता की अन्य खातेदारी की भूमि खसरा नमबर 132 रकबा 6 बिगा 10 बिस्वा मौजा ताउसर पूरी भूमि प्रतिवादी महावीर के बन्ट व कब्जा में रखा ऐसे सभी मौखिक रूप से बन्टवाडा में वादग्रस्त खेत खसरा नम्बर 754 रकबा 16 बिगा 3 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा की भूमि वादी के मौखिक बन्टवाड़ा में रखी गई। इस कारण उपरोक्त वादग्रस्त खेत में वादी का 1/2 अविभाजित हिस्सा कब्जे काश्त का रहा जिस में प्रतिवादीगण द्वारा कभी किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की गई न माता पतासी देवी द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति की गई क्यों कि वादी व प्रतिवादीगण व माता पतासी देवी के बीच आपस में घनिष्ठ सम्बन्ध थे व वैश्वासिक सम्बन्ध थे। उपरोक्त कारण से वादी अपने भाईयों व माता पर पूर्ण विश्वास करती थी। वादी पढी लिखी नहीं है, इस कारण प्रतिवादीगण द्वारा जिस प्रकार का वादी को कहा जाता वह हर सम्भव उपरोक्त कार्य करने को तत्पर रहती थी।

5. पक्षकारान के पिता की मृत्यु दिनांक 21.7.2015 को होने के बाद आज से करीब ढाई साल पूर्व प्रतिवादीगण व जायन्दा माता पतासी देवी द्वारा जिन का भी देहान्त हो चुका है, वादी को यह कहा गया कि खेत खसरा नम्बर 754 रकबा 16 बिगा 3 बिस्वा मौजा ताउसर की काकड में स्थित खेत का जो 1/2 हिस्सा पूर्व में मौखिक रूप से वादी के हक में रखा गया है उस की लिखा पढी करवाने कचहरी चलने की बात कही गई। जिस कारण वादी ने प्रतिकदीगण व माता पतासी देवी के साथ उक्त समय नागौर कचहरी जाने को सहमत हो गई थी। वादी करीब ढाई साल पूर्व जब उपरोक्त खेत के उस के 1/2 बन्ट के हिस्ता की लिखा पढी करवाने की जो बात प्रतिवादीगण व माता पतासी देवी द्वारा कही गई थी उस बन्टवाडा की लिखा पढी अपने हक में करवाने के लिऐ वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ नागौर कचहरी बन्टवाडा की लिखा पढी करवाने हेतु गई थी एवं बन्दवाड़ा लिखा पढी समझ कर ही जंहा जहा प्रतिवादीगण व माता पतासी देवी द्वारा वादी को हस्ताक्षर करने को कहा गया वादी ने अपने भाईयों व माता पर घनिष्ठ सम्बन्ध व विश्वास होने के कारण अपने

हस्ताक्षर कर दिए थे। उस समय वादी को प्रतिवादीगण अथवा माता द्वारा अन्य किसी प्रकार की लिखा पढी करवाने की बात नहीं बतलाई न वादी ने कोई सहमति अपने खेत के उक्त हिस्सा की अन्य प्रकार से लिखा पढी की कोई बात कही। वादी के भाईयों व माता द्वारा किसी भी समय यह नहीं बतलाया गया कि उस के हस्ताक्षरों की जो लिखा पढी करवाई जा रहीं है वह बन्टवाडा की लिखा पढी न हो कर उस के हिस्से का हक तर्कनामा प्रतिवादी संख्या। के नाम से खेत खसरा नम्बर 754 रकबा 16 बिगा 3 बिस्वा की भूमि में से किया जा रहा है। इस कारण वादी को उपरोक्त समय हक तर्कनामा की कोई जानकारी भी नहीं हो पाई। साथ ही बादी कभी भी प्रतिवादी संख्या के हक में तर्कनामा दिनांक 13.8.2015 का निष्पादन करने नागौर कचहरी प्रतिवादीगण या माता पतासी देवी के साथ नहीं गई थी। न ही उपरोक्त दिनांक को वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या के हक में किसी प्रकार के हक तर्कनामा का निष्पादन ही करवाया। इस कारण उपरोक्त हक तर्कनामा वादी की बिना सहमति एवं उस को बगैर बतलाएं धोखे में रख कर गुमराह करते हुऐ वादी के साथ विश्वास घात करते हुए वादी की गैर मौजूदगी में निष्पादित करवाया गया, जो प्रारम्भ से ही अवैध व शून्य है। जिस को निरस्त करवाने का अधिकार वादी को है तथा उपरोक्त खेत का 1/2 वां भाग के खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवा कर कब्ज़ा जरिए विभाजन कब्जा प्राप्त करने की वादी अधिकारी है, व इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में आवश्यक अमल दरामद करवाने की भी अधिकारी है।

6. हक तर्कनामा दिनांक 13.8.2015 में जिस प्रकार की लिखावट की गई है उस में किसी प्रकार की वादी की न तो रजामन्दी है न वादी को उस की जानकारी। जहा तक उक्त एकतर्कनामा के स्टाम्प का प्रश्न है, वह स्टाम्प दिनांक 13.8.2015 को खरीद करने वादी कभी भी नागौर कचहरी नहीं गई न ही ऐसी किसी तिथी को वादी के साथ प्रतिवादीगण अथवा माता पतासी देवी ही चली थी। उपरोक्त दिनांक 13.8.2015 को वादी की ओर से हरिकिशन पुत्र व जडावरान माली व कालूराम पुत्र शान्तुलाल माली को हक तर्कनामा में साख डालने की बात कही गई न वादी द्वारा 13.8.2015 को अपनी माता व भाई महावीर पापालाल गणपतलाल के साथ किसी प्रकार का सयुक्त हक तर्कनामा ही प्रतिवादी संख्या 1 के हक में निष्पादित ही किया। इस कारण प्रथम दृष्टया उपरोक्त हक तर्कनामा अवैधानिक तरीके से प्रतिवादीगण व माता पतासी देवी के द्वारा आपस में सान्ठ गान्ठ कर वादी को उक्त वादग्रस्त खेत खसरा न 754 की उस के बन्ट की 1/2 भूमि के हक व अधिकारों से वचित करने के उद्देश्य से निष्पादित करवाया गया है। जिस कारण उक्त हकतर्कनामा प्रारम्भ से ही अवैध व अवैधानिक है जिससे वादी के उक्त वादग्रस्त बडेर के खेत में मौखिक बन्टवाडानुसार वादी को दिए गए 1/2 हिस्सा का हक अधिकार समाप्त नहीं होता है।

7. वादी प्रतिवादी व अपनी जायन्दा माता के साथ दिनांक 14.8.2015 को नागौर कचहरी अवश्य गई थी जिस का कारण यह रहा कि पक्षकारान के बीच व माता पतासी देवी के बीच यह तय हुआ कि वादग्रस्त खेत खसरा नमबर 754 रकबा 16 दिगा 3 बिस्वा की भूमि में से वादी के जरिए बन्टवाडा 1/2 भू भाग को बन्ट में देने की लिखा पढी करवानी है जो बात कह कर वादी को उक्त प्रतिवादीगण व जायन्दा माता पतासी देवी विश्वास में ले कर नागौर कचहरी उक्त दिनांक को ले कर गई मगर उपरोक्त दिनांक को भी वादी द्वारा किसी प्रकार के कोई स्टाम्प वादग्रसत खेत को प्रतिवादी संख्या को दिए जाने हेतु नही खरीदा न माता व अन्य भाई महावीर वगैरहा को वादी द्वारा किसी प्रकार के कोई स्टाम्प कय करने हेतु कहा ही गया। न वादी को उपरोक्त प्रतिवादीगण अथवा नाता द्वारा लिखापढी करवाने हेतु कोई

स्टाम्प कय करने वाली बात ही बतलाई गई बल्कि उपरोक्त दिनांक को जो लिखापढीयां नागौर कचहरी में करवाई गई थी उस समय वादी को यह बतलाया गया कि वादी के नाम 1/2 हिस्सा खेत खसरा नमबर 754 मौजा ताउसर का जरिए बन्ट के दिया जा रहा है जिस की लिखा पढी करवाई है इस कारण उस को हस्ताक्षर करने है। यह भी बतलाया कि इस की रजामन्दी हेतु अन्य भाई व माता भी अपनी रजामन्दी दे रही है जिस कारण विश्वास के कारण 14.8.2015 को वादी द्वारा उपरोक्त प्रतिवादीगण व माता द्वारा जंहा जंहा जिस जिस जगह परिजन जिन पेपर पर हस्ताक्षर करने को कहा गया बन्ट की लिखापढी समझ कर कर दिए। उपरोक्त नागोर कचहरी में यादी को हस्ताक्षर करवाने के बाद पतिवादीगण व माता द्वारा यह बताया गया कि मानासर स्थित स्टाम्प अधिकारी के पास जा कर के भी हस्ताक्षर करने व फोटो खिचवाने है, तब दादी को दिए गरे खेत खत्तरा नमबर 754 का आधा भाग के बन्द की लिखापढी पक्की हो जायेगी। जिस कारण वादी प्रतिवादीगण व माता के साथ अपने हक में खेत का 1/2 हिस्सा का सही रूप से काम करवाने के लिऐ मानासर गई व वहा पर जहा जहा हस्ताक्षर करने को कहा गया वहा यहा हस्ताक्षर किए गऐ व कम्पूयटर के सामने अपना फोटो खीचवाया। उपरोक्त समय भी किसी भी व्यक्ति द्वारा या प्रतिवादीगण में से किसी के द्वारा या माता पतासी देवी द्वारा वादी को यह नहीं बतलाया गया कि खेत खसरा नम्बर 754 मौजा ताउसर के भू भाग में से उस के हक का त्याग पत्र प्रतिवादी सख्या 1 वादी के भाई शान्तुलाल के हक में करवाया जा रहा है। इस प्रकार से भी उपरोक्त समय भी वादी को ऐसे किसी हक तर्कनामा की जानकारी नही हो पाई न वादी द्वारा ऐसे किसी हक तर्कनामा का पंजीयन हक तर्कनामा समझ कर उप पंजीयक कार्यालय में 14.8.2015 को प्रतिवादी संख्या 1 के हक में पंजीयन ही करवाया। इस कारण भी उक्त हक तर्कनाना दिनांक 14.8.15 पूर्ण रूप से अवैध व बनावटी होने से शून्य है। जो निरस्त किए जाने योग्य है। जिस को निरस्त करवाने का वादी को पूर्ण अधिकार है। जिस हेतु यह वाद पेश किया जा रहा है। विकल्प में यदि बादी का 1/2 वां हिस्सा वादग्रस्त खेत में होना नहीं माना जावे तो माननीय न्यायालय द्वारा बादी के सम्भावित हक व हिस्से तक उपरोक्त तर्कनामा को अवैध शून्य व प्रभाव शुन्य उत्तर दिया जाना उचित व विधि सम्मत है। जिस तर्कनामा को सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौती दी जा कर निरस्त करने हेतु अलग से कार्यवाही वादी द्वारा की जावेगी।

8. उपरोक्त प्रकार से वादग्रस्त खेत खसरा नम्बर 754 रकबा 16 बिगा 3 बिस्वा मौजा ताउसर की भूमि में से 1/2 हिस्सा वादी को बढेर की उपरोक्त सम्पति का मौखिक रूप से पूर्व में दिया जा कर उस का भौतिक कब्जा गौका पर करवाया था जिस की पूर्ण रजामदी प्रतिवादीगण की थी व रही क्यों कि प्रतिवादीगण को बडेर की पैत्रिक खातेदारी की व कब्जा कास्त की भूमियों में मौखिक बन्टवाडा व बक्सीसनामा के जरिए समुचित व पर्याप्त भूमि बन्ट में दी जा चुकी थी। जो भूमिया बादी के वादग्रस्त उक्त खेत में से 1/2 अर्थात 8 विघा से अधिक भूनि बन्ट में रहती है उससे भी ज्यादा रकबा की जमीने प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त की मौका पर रही है व आज दिन भी वह काबिज है जिन का उपयोग उपभोग प्रतिवादीगण करते है जिस में बादी द्वारा आपत्ति नहीं की गई। इस कारण उपरोक्त वादग्रस्त अंत में बादी का मौखिक बन्ट अनुसार 1/2 हिस्सा होता है। जिस में किसी प्रकार की एक टॉक करने का प्रतिवादी संख्या 1 अथवा अन्य प्रतिवादीगण को अधिकार नहीं है। परन्तु प्रतिवादी सख्या 1 अवैधानिक हक तर्कनामा दिनांक 13.8.2015 के आधार पर उक्त खेत के 1/2 हिस्सा पर बादी को वर्तमान में करने से हाल ही में जेठ माह के प्रारम्भ में बादी के द्वारा मौका पर जा कर स्थिति देखने पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा रोक कर आना कानी की गई व बादी को

मौका पर से बेदखल करने हेतु भी कहा गया जिस हक तर्कनामा की वादी को उपरोक्त समय से पूर्व जानकारी नहीं थी मगर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उपरोक्त कार्यवाही के समय वादी की उक्त हक तर्कनामा उक्त खेत में बादी के हिस्सा का दिनाक 13.8.2015 को लिखवा कर उस का पंजीयन करवा लिया है यह बात वादी को उस के द्वारा मौखिक रूप से बतलाई एवं तत्पश्चात यह भी कहा गया कि उस के पास असल कागज भी है जिस को सुन कर वादी के होश उड़ गऐ प्रतिवादी संख्या को उपरोक्त समय ही वादी द्वारा यह बतला दिया गया कि उस के तथा अन्य भाईयों व माता पतासी द्वारा बदनीयति से आपसी मिलावटी से षडयन्त्र कर धोखा किया गया है जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा यह कहा गया कि वादी उस का अब कुछ नहीं बिगाड़ सकती है जिस पर वादी प्रतिवादी संख्य 2 से 5 के पास भी ओलबा देने गई मगर प्रतिवादी संख्या 2 से 5 द्वारा भी वादी की बात को ध्यान से नही सुना न किसी प्रकार से सहयोग करने की कोशिश की। जिस कारण वादी द्वारा उपरोक्त खेत के हकतर्कनामा की नकल प्राप्त करने हेतु उप पंजीयक कार्यालय नागौर में प्रार्थना पत्र पेश किया जो 18.5.18 को वादी को प्राप्त हुई जिस को देख कर पढवाने पर वादी के होश उड गरे व उक्त हकतर्कनामा की पूर्ण जानकारी वादो को उपरोक्त समय हुई। इस कारण तथा वादग्रस्त खेत के 1/2 भू भाग पर दादी का भौतिक कब्जा है वह बरसों से बेरोकटोक काश्त करती है कुदरती पैदावार लेती है जिस में किसी प्रकार की रूकावट करने का अधिकार नहीं है। वादग्रस्त खेत बडेर की पैत्रिक सम्पति का भू भाग है जिस में वादी का पक्षकारान के मध्य हुए बन्ट अनुसार 1/2 हिस्सा है इसलिए वादी प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई व्यादेश प्राप्त करने व रेकार्ड दुरूस्ती करवाने की अधिकारी है जिस हेतु भी उपरोक्त वाद पेश किया जा रहा है। बादी द्वारा अपने हित अधिकारों के लिए अलग से घोषणा खातेदारी हेतु वाद पन्त्र श्रीमान के समक्ष पेश किया जा रहा है। जैसी घोषणा की जानी उचित है।

9. उपरोक्त वादग्रस्त भूमि की खातेदारी में उपरोक्त हालात में विश्वास में रहने के कारण से बादी के नाम भी कोई खातेदारी भी दर्ज नहीं की गई है. जैसी घोषणा के आधार पर बादी उपरोक्त खेत में 1/2 वां हिस्सा की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवा कर रेकार्ड में आवश्यक सशोधन करवाने की अधिकारी है।

10. अप्रार्थी संख्या 1 उपरोक्त अवैध तर्कनामा व राजस्व रेकार्ड की आड में प्रार्थी को उस के कब्जा से बेदखल करना चाहता है तथा साथ ही साथ तर्कनामा व रेकर्ड को आधार बना कर बादग्रस्त खेत को किसी अन्य को विकय अन्तरण या अन्य के नाम हस्तान्तरण करना चाहता है यदि ऐसा करने में अप्रार्थी संख्या 1 सफल हो जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी वह अपने हित व खातेदारी अधिकारों से बंचित हो जावेगी तथा उस की पूर्ति किसी मुआवजा से सम्भव नहीं होगी। साथ ही मामला उपरोक्तानुसार प्रथम दृष्टया प्रार्थी के ही पक्ष में है सुविधा सन्तुलन भी प्रार्थी के कब्ज़ा को यथावत रखे जाने तथा तर्कनामा की आड में वादग्रस्त खेत के हस्तान्तरण इत्यादि को रोके जाने में ही है। वाद के निर्णय में पर्याप्त समय लगने की सम्भावना है अतः ऐसी हालत में जरिए अस्थाई व्यादेश के अप्रार्थी सख्या 1 को रोका जाना उचित आवश्यक व विधि सम्मत है।

अतःआवेदन मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि ता फैसला वाद के जरिए अस्थाई व्यादेश के अप्रार्थी संख्या 1 को पाबंद किया जावे कि वह वाद के निर्णय तक उपरोक्त खेत खसरा नम्बर 754 रकबा 16 बिगा 3 बिस्वा मौजा ताउसर में प्रार्थी के 1/2

वां हिस्सा पर प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नहीं करे तथा न ही प्राथर्थी को कब्जा से बेदखल करे। उपरोक्त खेत को दौराने वाद किसी अन्य को विक्रय अन्तरण हस्तान्तरण नहीं करें। ऐसा न तो अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं करे न किसी अन्य के द्वारा या सहयोग से करवावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की तरफ से वकील श्री भंवरलाल सारस्वत व अप्रार्थी संख्या 2 की तरफ से वकील श्री चन्द्रशेखर उपस्थित हुऐ। अप्रार्थी संख्या 3 से 5 बावजूद रजि0एडी तामिल नोटिस गैर हाजिर रहने से इनके विरूद्ध दिनांक 19.10.2020 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

अप्रार्थी संख्या 2 श्री महावीर पुत्र स्व. मुन्नालाल ने अपने जवाब में मौजा ताउसर के खेत खसरा नम्बर 754 रकबा 16 बीघा 03 बिस्वा प्रार्थीया सुमित्रा के 1/2 हिस्से में उसके कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी नही करने व कब्जे से बेदखल नहीं करने हेतु ता फैसला वाद अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये अस्थाई व्यादेश से पाबन्द किये जाने में कोई आपत्ति नहीं की हैं।

उपरोक्त अनवान प्रकरण में प्रार्थीनी के आवेदन पत्र का अप्रार्थी संख्या 1 शान्तुलाल पुत्र स्वर्गीय श्री मुन्नालाल जाति माली निवासी ताउसर बास बाईसर तहसील व जिला नागौर की तरफ से निम्न जवाब प्रस्तुत है –

प्रारम्भिक विधिक आपतियां –

1. यह है कि खेत खसरा नम्बर 754 रकबा 16 बीघा 03 बिस्वा ग्राम ताउसर की वर्तमान में प्रार्थीनी सह खातेदार नही है। इसलिए प्रार्थीनी द्वारा बंटवाडा का दावा व यह आवेदन चलने योग्य नही है।
2. दावा व यह आवेदन प्रस्तुत करने के दिन प्रार्थी का वादग्रस्त खेत के किसी भी भाग पर कब्जा काश्त नही है और न ही संयुक्त कब्जा काश्त हैं, परन्तु अकेले अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा काश्त है और उसी का नाम खातेदारी में बतौर खातेदार दर्ज है। इसलिए स्थायी निषेधाज्ञा का दावा व यह अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन चलने योग्य नही है।
3. प्राथीनी ने अपना हक दिनांक 14.08.2015 को अप्रार्थी सं. 1 के हक में तर्क कर दिया व उपपंजीयक कार्यालय नागौर में उसको बजीबद्ध करवा दिया। उसके आधार पर अकेले अप्रार्थी संख्या 1 का नाम बतौर खातेदार दर्ज हुआ। इसलिए जब तक रजिस्टर्ड तर्कनामा निरस्त नहीं होता। तब तक प्रार्थीनी को न्यायालय हाजा में वाद प्रस्तुत करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है और न ही वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है व न ही प्रार्थीनी खातेदारी घोषणा का वाद व यह आवेदन अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध ला सकती है।

पेरावाईज जवाब :–

1. यह है कि आवेदन पत्र का पेरा संख्या 1 में दर्ज तथ्य जिस प्रकार कथन किये गये हैं, गलत होने से अस्वीकार है। वादीनी/प्रार्थीनी ने वाद अवश्य पेश किया हैं, परन्तु प्रस्तुत वाद मिथ्या तथ्यो पर आधारित होने से प्रार्थीनी को कतई सफलता नही मिल सकती। प्रार्थीनी का वाद व यह आवेदन खारिज होने योग्य है।
2. आवेदन पत्र का पेरा संख्या 2 प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण के सगे भाई होने व उसमे स्वर्गीय मुन्नालालजी के पुत्रो पुत्री व पत्नि का नाम दर्ज किया गया हैं, जो सही है। परन्तु उक्त

वादग्रस्त खेत में स्वर्गीय मुन्नालालजी के सभी वारिसानो द्वारा अकेले अप्रार्थी संख्या 1 के हक में तर्कनामा निष्पादित कर देने से उक्त खेत अकेले अप्रार्थी संख्या 1 के कब्जा काश्त व खातेदारी का है और रेवेन्यू रेकर्ड में भी उक्त खेत की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम ही दर्ज है।

3. आवेदन पत्र का पेरा संख्या 3 गलत होने से अस्वीकार है। क्योकि स्वर्गीय उरजारामजी के देहान्त होने के पश्चात विधि अनुसार उनके वारिसानो के नाम नामान्तरकरण दर्ज हुआ और इसके पश्चात स्वर्गीय मुन्नालालजी व पतासी देशी के देहाना हाने के पा नामान्तरकरण उसके वारिसान जिसमे प्राथीनी भी सम्मिलित है, नाम नामान्तरकरण हुआ और स्वर्गीय मुन्नालालजी के सभी वारिसी न अधार्थी संख्या 1 के नाम एक तर्कनाना कर दिया व उपपंजीयक कार्यालय नागौर में पजीबद्ध करवा दिया। इसलिए उक्त खेत का एकमात्र खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 हुआ और उसी दिन से आज तक अकेले अप्रार्थी संख्या 1 के कब्जे काश्त में है। यह कथन सरासर गलत है कि स्वर्गीय मुन्नालालजी के देहान्त के बाद पतासीदेवी ने सभी पक्षकारों की सहमति से उक्त वादग्रस्त खेत खसरा नम्बर 754 रकबा 16 बीघा 03 विस्वा में से आधा हिस्सा प्रार्थीनी को बट में दिया गया हो और प्रार्थीनी का आधे भाग पर कब्जा काश्त रहा हो। प्रार्थीनी ने बंटवाडा मौखिक होने की बात कही है, लेकिन यह उल्लेख नही किया है कि मौखिक बंटवाडा किस दिन, किस महीने में व किस वर्ष हुआ, जिससे साफ जाहिर है कि प्रार्थी ने मनोगढत तथ्यो के आधार पर इस पेरा में अभिवचन लिये है। प्रार्थीनी का यह कहना भी सरासर गलत है कि उसका कब्जा काश्त होने से वो अपना बंट मानकर आश्वस्त रही, जबकि प्रार्थीनी का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा।

4. आवेदन पत्र का पेरा संख्या 4 गलत होने से अस्वीकार है। क्योकि उक्त वादग्रस्त खेत कभी भी प्रार्थीनी को बंट में नही दिया गया और न ही प्रार्थीनी का कब्जा काश्त रहा। मात्र प्रार्थीनी ने अप्रार्थी संख्या 1 को परेशान करने के लिए यह आवेदन पेश किया है। यहां यह भी स्पष्ट करना उचित है कि प्रार्थीनी ने अन्य खेतो को अपने दूसरे भाईयो के हक में अपने पिता द्वारा बख्शीश करना बताया है। जो इस बात का द्योतक हैं कि प्रार्थीनपी का हक केवल अप्रार्थी संख्या 1 जो दिये गये खेत में नहीं हो सकता। अगर प्राचीनी पुनीता के आधार पर दावा जाती ती सभी खेतों में अपना एक जाती। परन्तु अपाणी संख्या 1 के खातेदारी व कब्जे करत के खेत में अपना एक जताकर मात्र अप्रार्थी संख्या 1 को परेशान करना चाहती है। प्रार्थीनी ने अपने आपको पढ़ा लिखा होना नहीं बताया है। परन्तु अप्राधी संख्या भी पढ़ा लिखा नहीं है। प्रार्थीनी के अन्य भाई तो पढे लिखे है और प्रार्थीनी ने अनपढ़ होने का एक मनोगडत आधार बनाया है। इसलिए प्रार्थीनी का आवेदन चलने योग्य नहीं है।

5. आवेदन पत्र का पेरा सख्या 5 गलत होने से अस्वीकार है। क्योंकि प्रार्थीनी को कभी भी यह नहीं कहा गया कि तेरे बंट में जो खेत रखा गया है, उसकी लिखा पढी कचहरी में करवानी है, जबकि प्रार्थीनी को पूर्णतया ज्ञान था और प्रार्थीनी पूर्णतया होश हवास में, बिना किसी दबाव के अप्रार्थी संख्या 1 के हक में तर्कनामा निष्पादित करवाया। इसलिए अब प्रार्थीनी का यह कहना कि मुझे तो लिखा पढी का कहकर हस्ताक्षर करवाये, सरासर गलत है। प्रार्थीनी अपने भाई माता पिता पर घनिष्ठ संबंध व विश्वास होने के कारण हस्ताक्षर करना बताया हैं, जो कि सरासर गलत हैं, क्योकि प्रार्थीनी ने अपनी इच्छा से तर्कनामा निष्पादित करवाया था। प्रार्थीनी का यह कथन कि 13.08. 2015 को वो निष्पादित किया, कतई गलत है। क्योकि प्रार्थीनी द्वारा निष्पादित तर्कनामा निश्चित रूप से उप पंजीयक कार्यालय में पंजीबद्ध हुआ, जिसकी जानकारी प्रार्थीनी को भली भांति थी, इसलिए प्रार्थीनी वादग्रस्त खेत खसरा नम्बर

754 के आधे हिस्से की खातेदारी घोषणा करवानी की अधिकारी नही है, न ही विभाजन करवाने की अधिकारी हैं, न ही राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाने की अधिकारी है।

6. आवेदन पत्र का पेरा सख्या 6 गलत होने से अस्वीकार है। क्योकि प्राधीनी को दिनांक 13.08.2015 के तर्कनामा की पूर्णतया जानकारी थी और प्रार्थीनी ने अपनी इच्छा से तर्कनामा निष्पादित करवाया था. इसलिए प्रार्थीनीने विधिक रूप से तकंनामा निष्पादित करवाया। अप्रार्थीगण व उसकी मां में कोई साठ गांठ नही हुई, अपितु प्रार्थीनी ने स्वेच्छा से तर्कनामा निष्पादित करवाया व अपने हस्ताक्षर किये. इसलिए जब तक तर्कनामा सक्षम न्यायालय से निरस्त नही होता. तब तक प्रार्थीनी किसी भी तरह के हक व हकूक की मांग नहीं कर सकती है और जैसे ही प्रार्थी ने तर्कनामा निष्पादित करवाया, उसके हक अधिकार उसी समय समाप्त हो गये।

7. आवेदन पत्र का पेरा संख्या 7 गलत होने से अस्वीकार है। क्योकि प्रार्थीनी दिनांक 14.08.2015 को कचहरी आना बताती है, उस समय आधा भू भाग बंट में लिखा पढी करवाने का कहती हैं, जो सरासर गलत है। क्योकि प्रार्थीनी तर्कनामा निष्पादित करवाने के लिए ही कचहरी आयी थी और अपनी स्वेच्छा से तर्कनामा निष्पादित करवाया था। प्रार्थीनी का यह कथन भी सरासर गलत है कि उसको लिखा पढी नागौर कचहरी में जब करवाई गई, तो यह बताया गया कि उसके बंट में आधा खेत रखा गया हैं। प्रार्थीनी यह तो स्वीकार करती है कि उसके हस्ताक्षर हैं, परन्तु साथ में यह कथन करती है कि उसे बंटवाडा का कहकर करवाया, सरासर गलत है। प्रार्थीनी का उप पंजीयक कार्यालय जाना व फोटो खिंचवाना स्वीकार करती हैं, मात्र अप्रार्थी संख्या 1 को परेशान करने की नियत से तर्कनामा होने की जानकारी नही हैं, यह कथन करती हैं, जो कतई गलत है। इस पेरे में प्रार्थीनी ने उक्त तर्कनामे को अवैध शुन्य व प्रभाव शुन्य करार दिया जाना विधि सम्मत माना हैं, जो अनुतोष न्यायालय हाजा से नही दिया जा सकता और जब तक सक्षम न्यायालय से तर्कनामा निरस्त नही होता, तब तक प्रार्थीनी किसी भी तरह का न्यायालय हाजा से अनुतोष नही पा सकती है।

8. आवेदन पत्र का पेरा संख्या 8 गलत होने से अस्वीकार है। क्योकि प्रार्थीनी का कभी भी वादग्रस्त खेत के आधे हिस्से पर कब्जा नहीं रहा. प्रार्थीनी का यह कथन कि मौके पर उसका कब्जा करवाया गया, कतई गलत हैं, अगर ऐसा होता तो प्रार्थीनी आवेदन पत्र में उस हिस्से का भी उल्लेख करती कि उसका कौन से हिस्से में कब्जा काश्त था, परन्तु प्रार्थीनी ने मात्र मनोगढ़त तथ्यों के आधार पर कि मौखिक बंटवाडे में उसे वादग्रस्त खेत का आधा हिस्सा व कब्जा कर लिया, यह उल्लेख किया हैं, जो सरासर गलत है। प्रार्थीनी का मौके पर कभी कब्जा ही नहीं रहा, न ही कभी उसने काश्त की, इसलिए उजर एतराज करने की आवश्यकता ही नही पड़ी। प्रार्थीनी ने मात्र बनावटी तथ्यों के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 को परेशान करने की नियत से यह आवेदन पत्र पेश किया है और जब प्रार्थीनी ने अपने हिस्से को तर्क कर दिया, उसके पश्चात उसे वादग्रस्त खेत में काश्त करने का कोई विधिक अधिकार नही है और वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा काश्त हैं, उसी के नाम खातेदारी हैं, उसे उसके खातेदारी के खेत में किसी अन्य को रोक टोक करने का विधिक अधिकार है। प्रार्थीनी ने यह भी सरासर गलत लिखा है कि वर्तमान में जेठ माह के प्रारम्भ में प्रार्थीनी मौके पर जाकर स्थिति देखने पर अप्रार्थी सख्या 1 द्वारा आनाकानी की गई हो, क्योकि प्रार्थीनी कभी भी वादग्रस्त खेत पर न आयी, न ही कभी भी उस खेत पर कब्जा काश्त की। प्रार्थीनी का यह कथन कि जब अप्रार्थी संख्या 1 ने यह कहा कि उक्त खेत मेरा

है और उसके पास असल कागज हैं, तो उसके होश उड़ गये, कतई गलत है. क्योकि प्रार्थीनी को तो तर्कनामा निष्पादित करने के दिन ही पता था कि उक्त खेल मैंने अप्रार्थी संख्या 1 के हक में तर्क कर दिया हैं, अब वादग्रस्त खेत में मेरा कोई हिस्सा हक नहीं रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 की कोई बदनियती नही थी, न ही उसने कोई मिलावट या षडयंत्र करके धोखा किया। अपितु प्रार्थीनी यह झुठे तथ्यों के आधार पर आवेदन पेश कर अप्रार्थी संख्या 1 को परेशान कर रही है। प्रार्थीनी अप्रार्थी संख्या 2 से 5 को ओलवा देने गई हो और उसे ध्यान से नही सुना हो, इस बात की जानकारी अप्रार्थी संख्या 1 को नही है। प्रार्थीनी का यह कथन कि वो तर्कनामा की नकल लेने के लिए गयी और उसकी नकल दिनांक 18.05.2018 को प्राप्त हुई, जिसको देखने पर प्रार्थीनी के होश उड़ गये, सरासर गलत है। क्योकि प्रार्थीनी को तो तर्कनामा के निष्पादन के दिन से ही जानकारी थी कि उसने अपने हक का अप्रार्थी संख्या 1 के हक में तर्क कर दिया है। प्रार्थीनी का वादग्रस्त खेत पर कब्जा काश्त कभी नही रहा, न ही कुदरती पैदावार ली। इसलिए प्रार्थीनी का यह कथन कि उक्त खेत के आधे हिस्से पर उसका कब्जा काश्त हैं, कतई गलत है। प्रार्थीनी का वादग्रस्त खेत पर न तो आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व कब्जा काश्त था, न आवेदन प्रस्तुत करने के दिन था, न आज है। इसलिए प्रार्थीनी स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की व रेकर्ड दुरूस्त करवाने की अधिकारी नही है। प्रार्थीनी का आवेदन मात्र मनोगढत तथ्यो पर आधारित पेश किया गया है, जो खारिज करने योग्य है। न ही प्रार्थीनी खातेदारी घोषणा करवाने की अधिकारी है।

9. आवेदन पत्र का पेरा संख्या 9 गलत होने से अस्वीकार है। क्योकि प्रार्थीनी बनावटी व आधारहीन तथ्यों के आधार पर वादग्रस्त बेत के आधे हिस्से की खातेदारी घोषणा करवाने की अधिकारी नहीं है, न. ही रेकर्ड में आवश्यक संशोधन करवाने की अधिकारी है।

10. आवेदन पत्र का पेरा संख्या 10 गलत होने से अस्वीकार है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णिय क्षति के विन्दूओं को सही प्रकार से अभिवचनित तक नही किया गया है, न ही उक्त बिन्दू प्रार्थीनी के पक्ष में है। प्रार्थीनी का यह आवेदन सारहीन, बलहीन, मिथ्या व वेग अभिवचनो पर आधारित हैं, जो सव्यय खारिज होने योग्य है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीनी का आवेदन पत्र सारहीन, बलहीन, आधारहीन, मिथ्या व वेग अभिवचनो पर आधारित होने से सव्यय खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्षकारान विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीनी ने दौराने बहस कथन किया कि स्व मुन्नालाल के देहान्त के बाद उपरोक्त वाद के पक्षकारान व माता पतासी देवी की सभी की सहमति से हुआ उस में उक खेत खसरा नमबर 754 रकबा 16 बिगा 3 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा प्रार्थीनी के भौतिक बन्ट में दिया जाना तय किया गया एवं उपरोक्तानुसार प्रार्थीनी के नाम 1/2 हिस्सा की खातेदारी बन्टवाडा किया जा कर करवा दिया जाना मौखिक रूप से तय किया था। अप्रार्थी संख्या 1 जिस हकतर्कनामा का जिक्र कर रहे हैं, वो प्रार्थीनी को धोके में रखकर करवाया हैं, जिसके संबंध में प्रार्थीनी ने तर्कनामा निरस्त करवाने हेतु सिविल न्यायाधीश नागौर में भी वाद पेश कर रखा हैं, जिसका अभी तक निर्णय नहीं हुआ हैं। यदि वाद के निर्णय से पूर्व वादग्रस्त भूमि का बैचान, विक्रय, हस्तान्तरण हो जाता हैं, तो प्रार्थीनी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती हैं। इसलिए वाद के निर्णय तक अप्रार्थी संख्या 1 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने दौराने बहस कथन किया कि प्राथीनी ने अपना हक दिनांक 14.08.2015 को अप्रार्थी सं. 1 के हक में तर्क कर दिया व उपपंजीयक कार्यालय नागौर में उसको बजीबद्ध करवा दिया। उसके आधार पर अकेले अप्रार्थी संख्या 1 का नाम बतौर खातेदार दर्ज हुआ। प्रार्थीनी इस सबंध में इसी न्यायालय हाजा में इसी खसरे के सम्बन्ध में म्यूटेशन अपील सं. 04/2022 पेश की थी, जो न्यायालय द्वारा अदेश दिनांक 07.06.2022 को सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जा चुकी हैं। प्रार्थीनी ने रजिस्टर्ड तर्कनामा निरस्त के संबंध में सिविल न्यायाधीश नागौर में भी वाद तथा स्थगन आदेश का प्रार्थना पत्र पेश किया था। जिसमें अस्थायी व्यादेश का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय, सिविल न्यायाधीश, नागौर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 19.08.2023 को खारिज खारिज किया जा चुका हैं। इस प्रकार इस प्राथना पत्र में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णिय क्षति तीनो बिन्दु प्रार्थीनी के पक्ष में न होकर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में साबित होने से प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया एवं उभय पक्षकारान विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। मौजा ग्राम ताउसर के खेत ख.नं. 754 रकबा 16 बिघा 3 बिस्वा हक तर्कनामा दिनांक 13.08.2015 जो उप पंजीयक नागौर में दिनांक 14.08.2015 को पंजीबद्ध हैं के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी में दर्ज हुआ हैं। जिससे प्रथम दृष्टया मामला तथा सुविधा का संतुलन प्रार्थीनी के पक्ष में साबित ने होकर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में साबित होता है, परन्तु यदि वाद के निर्णय से पूर्व वादग्रस्त भूमि का बैचान, विक्रय या हस्तांतरण कर दिया जाता हैं, तो अपूर्णीय क्षति प्रार्थीनी को ही होगी, न कि अप्रार्थी संख्या 1 को। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तीन आवश्यक बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीनी के पक्ष में साबित होता हैं।

अतः प्रार्थीनी का प्राथना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि खेत खसरा नमबर 754 रकबा 16 बिगा 3 बिस्वा मौजा ताउसर का वाद के निर्णय तक विक्रय, अन्तरण, हस्तांतरण इत्यादि नहीं करने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं। अप्रार्थी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि का विक्रय, अन्तरण, हस्तान्तरण इत्यादि न तो स्वयं करें और न ही अन्य किसी के सहयोग से करावें वादग्रस्त भूमि की राजस्व रेकर्ड की वाद के निर्णय तक ययास्थिति बनाये रखें।

(सुनील कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
नागौर

आदेश आज दिनांक ..... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
नागौर